आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण प्रक्रिया

जयपुर विकास प्राधिकरण की संचालित ऑनलाईन सेवाऐ जैसे–की लीजडीड, फ्री–होल्ड लीजडीड, नाम हस्तान्तरण, उपविभाजन एवं पुनगर्ठन इत्यादि सेवाओं में आधार नम्बर दर्ज करके फेच डाटा पर क्लिक करने पर एक पॉपअप विडों खुलती है। जिसमें आधार प्रमाणन/ई–केवाईसी द्वारा चेहरा प्रमाणीकरण विकल्प का उपयोग करना है।

चेहरा प्रमाणीकरण का चयन करके, चैक बॉक्स का उपयोग करे तथा अन्त में ''प्रमाणीकरण करे'' पर क्लिक करे। चेहरा प्रमाणीकरण के लिये प्ले एवं ऐप्पल स्टोर से मोबाईल ऐप को डाउनलोड करे या QR Code के द्वारा मोबाईल ऐप डाउनलोड करे।

Play Store Link:-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gov.doitc.genericfacerd&pcampaignid=web_share

Apple Store Link:-

https://apps.apple.com/in/app/doit-c-faceauthentication/id6737118060

नोटः–सूचना प्रौद्योगिकी एवं सचार विभाग के फेस औथेंटिकेशन के लिए आवेदक या गवाह स्वयं के मोबाईल पर मोबाईल ऐप का उपयोग करके तीन मिनट के अंदर आधार आधारित फेस औथेंटिकेशन को पूरा करना आवश्यक है।

1. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सचार विभाग के फेस औथेंटिकेशन से मोबाईल ऐप को ओपन करके वेरिफाई पर क्लिक करना होगा।
2. मोबाईल में एक विडों खुलेगी जिसमें आधार नम्बर, प्रयोजनार्थ, अनुरोध आई.डी. एवं प्रकार दर्शित करते हुये चैक बॉक्स का उपयोग करे तथा अन्त में ''वेरिफाई'' पर क्लिक करे।
3. वेरिफाई बटन पर क्लिक करने के बाद मोबाईल का कैमरा ऑपन करे।
4. कैमरा में आवेदक या गवाह का छात्राचित्र पर जब हरा गोला हो जाये, तब आवेदक या गवाह को अपनी आखों को झपकाना होगा।
5. आखों को झपकाने के बाद आधार फेस औथेंटिकेशन सफल का एक मैसेज आयेगा तथा आवेदक या गवाह ऑके बटन पर क्लिक करे।

चेहरा प्रमाणीकरण विकल्प से आवेदक एवं गवाह के नाम, पिता का नाम, पता एवं फोटो की जानकारी आवेदन पत्र में स्वतः प्रद्वर्शित हो जायेगी। इस प्रक्रिया से प्राधिकरण की संचालित ऑनलाईन सेवाओं के आवेदन पत्र की प्रक्रिया सरल व सुरक्षित हो जायेगी तथा आवेदक एवं गवाह को भौतिक सत्यापन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में आने की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी।